न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, पीलीभीत ।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–373 / 2026

शाहिद पुत्र मुन्ना उर्फ मुच्छड़ निवासी मोहल्ला खानकाह थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।
प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–263 / 2025
धारा–3 / 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम।
थाना–पूरनपुर, जिला पीलीभीत।

<u>दिनांकः 11.03.2026</u>

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त शाहिद पुत्र मुन्ना उर्फ मुच्छड़ निवासी मोहल्ला खानकाह थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत की ओर से अन्तर्गत धारा 482 बी. एन. एस. एस. मुकदमा अपराध संख्या–263 / 2025 अंतर्गत धारा 3 / 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है वादी आकाश कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गयी कि दिनांक 12.04.2025 को समय करीब 08.30 बजे वादी अपने गॉव खमरिया पट्टी से पूरनपुर जा रहा था तो रास्ते में नहर की पटरी कच्चा रास्ता के किनारे रामदयाल के खेत व बगिया में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौवंशीय पशु का वध करके अवशेष डाल दिये। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. अभियुक्त का कथन है कि उसको उक्त मामले मे झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त घटनास्थल से गिरफतार नहीं हुआ है न ही उससे कोई बरामदगी हुई है। उपरोक्त वाद के सन्दर्भ में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 जिला पीलीभीत द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दिनॉक 16.04.2025 को प्रार्थी का रिमाण्ड अस्वीकार करते हुए प्रार्थी को 20,000रू. के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा कर दिया गया था। उपरोक्त वाद के सन्दर्भ में प्रार्थी जिला कारागार मे निरूद्ध नही रहा है। उपरोक्त वाद की कथित घटना दिनॉक 11.04.2025 दर्शाकर आरोपपत्र दिनॉक 03.01.2026 को अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो कि जीवन यापन के लिए अधिकांशतः बाहर रहकर मजदूरी करता है। जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त वाद मे न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु कोई सूचना प्राप्त नही हो पायी जिस कारण प्रार्थी उपरोक्त वाद मे न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका। प्रार्थी ने इस संदर्भ मे जानकारी होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त वाद मे सह अभियुक्त नफीस व मुजीम की अग्रिम जमानतें न्यायालय अपर सत्र

न्यायाधीश कोर्ट नं. 1 पीलीभीत द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त एक सम्भ्रान्त भारतीय नागरिक है तथा मात्र प्रार्थी की छवि को धूमिल करने के आशय से प्रार्थी को उपरोक्त मामले में फर्जी रूप से संलिप्त किया गया है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त तथा उसके अन्य साथी गौकशी की घटना में संलिप्त रहे है। अतः उक्त परिस्थितियों में अग्रिम जमानत प्रा. र्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवम् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गयी है तथा अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश मे आया है और विवेचना के दौरान अभियुक्त का रिमाण्ड न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया गया और आरोपपत्र बिना अभियुक्त की गिरफ्तारी के न्यायालय मे प्रेषित किया गया है। आरोपपत्र न्यायालय मे आने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मात्र समन जारी किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति मे अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई सम्भावना नही है। अतः उपरोक्त परिस्थितियो मे अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–263/2025 अंतर्गत धारा–3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत में अभियुक्त शाहिद पुत्र मुन्ना उर्फ मुच्छड़ निवासी मोहल्ला खानकाह थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(विजय कुमार डुंगराकोटी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड यू.पी.6156